कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री दि ग्लास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, बारी छपेटी, फिरोजाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**394 / 08, 23.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दि ग्लास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, बारी छपेटी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 23.10.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रश्नकर्ता द्वारा कहा गया है कि हमारी संस्था के सदस्य चूड़ी निर्माता इकाइयॉ ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थित हैं तथा प्राकृतिक गैस औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग करती हैं। प्राकृतिक गैस विक्रेता कम्पनी मेसर्स गेल (इण्डिया) लि0, आगरा द्वारा विभागीय परिपत्र संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 के अनुपालन में प्राकृतिक गैस पर 5% की दर से कर चार्ज करने हेतु हमारे सदस्यों से फार्म-डी नामक निर्धारित प्रमाण-पत्र की मॉग दिनांक 01.01.2008 से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कॉच की चूड़ी एक करमुक्त उत्पाद है। अत: हम लोगों द्वारा फार्म-डी का रखरखाव किस प्रकार किया जायेगा।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा द्वारा पत्र संख्या-209, दिनांक 26.11.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-2758 / ग्यारह-9 (1) / 08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(29)-2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 द्वारा अनुसूची-4 में

8(क)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) सम्मिलित नहीं है, जब पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को गैर वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाये।	नि0 / आ0	5%
8(ख)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) सम्मिलित नहीं है, जब पंजीकृत व्यापारी की ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई की निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाये।	नि0 / आ0	5%
8(ग)	प्राकृतिक गैस, जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (C.N.G.) सम्मिलित नहीं है, क्रम संख्या-8 (क) एवं 8 (ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त		21%

.....2

उपर्युक्त प्रविष्टि-8 (क) के अनुसार अन्तिम संशोधन के पश्चात दिनांक 30.09.2008 से प्राकृतिक गैस जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस सम्मिलित नहीं है । पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को गैर वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री किये जाने पर निर्माता / निर्यात कर्ता के बिन्दु पर 5% की दर से करदेयता है तथा प्रविष्टि-8 (ख) के अनुसार प्राकृतिक गैस जिसमें कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस सम्मिलित नहीं है जबकि पंजीकृत व्यापारी की ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई की निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री पर 5% की दर से करदेय है ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा इस हेतु फार्म-डी निर्धारित किया गया है जिसके रखरखाव के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र संख्या-वैट-फार्म-डी-रखरखाव प्रक्रिया / 2007-08 / 511 / वाणिज्य कर, दिनांक 14.01.2008 तथा पुन: विभागीय परिपत्र संख्या-वैट अनुभाग-फार्म-डी-रखरखाव / 07-08 / / 680 / वाणिज्य कर, दिनांक 13.03.2008 जारी किया गया है ।

चूड़ी वाणिज्य करमुक्त वस्तु है । यदि करमुक्त वस्तु का निर्माण कोई औद्योगिक इकाई करती है तो उसे फार्म-डी का लाभ देय नहीं है, किन्तु यदि कोई भी इकाई ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में स्थित है तो औद्योगिक इकाई की निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप फार्म-डी के बल पर प्राकृतिक गैस खरीदने हेतु फार्म-डी जारी किये जाने का प्राविधान है ।

अत: यदि प्रश्नकर्ता की औद्योगिक इकाई ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में स्थित है तो उसे फार्म-डी की सुविधा देय है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री दि ग्लास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, बारी छपेटी, फिरोजाबाद कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं करते हैं और न ही पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं । प्रश्नकर्ता सर्वश्री दि ग्लास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, बारी छपेटी, फिरोजाबाद person or dealer concerned in U.P. VAT Act नहीं हैं । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी संस्था द्वारा पूछा गया प्रश्न ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में निहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि person or dealer concerned ही धारा-59 में प्रश्न पूछ सकता है । प्रश्नकर्ता '' सर्वश्री दि ग्लास इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, बारी छपेटी, फिरोजाबाद '' नामक संस्था एक एसोसियेशन है उनके द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है । ऐसी स्थिति में वे person or dealer concerned नहीं हैं तथा विधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

.....3

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 16 जनवरी, 2014

ह0 / 16.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।